न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	09/21	2021/05	14.07.2021	सीताराम बनाम लैण्ड होल्डर	22.12..2025	1 लगायत 4

1 सीताराम पुत्र स्व0 हजारी जाति संजोगी निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर।
2 घनश्याम पुत्र स्व0 हजारी जाति संजोगी निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर।
3 भगवती पुत्र स्व0 हजारी जाति संजोगी निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर।
4 मगनलाल पुत्र स्व0 हजारी जाति संजोगी निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर।
5 सवित्री पुत्री स्व0 हजारी पत्नि बाबूलाल जाति संजोगी नि0 सुकार।
6 पार्वती पुत्री स्व0 हजारी पत्नि मोहन जाति संजोगी नि0 सुकार।
7 जयन्त पिता विजेन्द्र कुमार जाति संजोगी निवासी कोटा जिला कोटा।

——– अपीलार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर।
2. राधेश्याम पुत्र हजारी जाति संजोगी निवासी शेखपुर तहसील वजीरपु।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री रामदयाल त्रिवेदी
रेस्पोडेन्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री कुश मंगल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील ग्राम शेखपुर के नामान्तकरण सं0 632 दिनांक 29.05.2017 वाके से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 632 दिनांक 29.05.2017 024 द्वारा ग्राम शेखपुर में स्थित अपीलार्थी के पिता की खातेदारी भूमि खं0नं0 212 रकबा 1.32 है0 हिस्सा 1/2 मुताबिक डिक्री आदेश रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार व रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलार्थीगण 1 लगायत 6 एवं प्रत्यर्थी सं0 2 आपस में सगे भाई बहन है। प्रत्यर्थी सं0 2 चालाक एवं धूर्त किस्म का व्यक्ति है, उसने स्व0 रामनारायण की एक फर्जी वसीयत अपने नाम भूमि खं0नं0 52 रकबा 3.19 है0 वाके ग्राम शेखपुर तहसील वजीरपुर की तैयार करवादी तथा चालाकी से न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के समक्ष उक्त झूंठी एवं फर्जी वसीयत में अंकित खं0नं0 52 रकबा 3.19 है0 का हवाला देते हुए एक दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वास्ते भूमि खं0नं0 212 रकबा 1.32 है0 ग्राम शेखपुर के लिये पेश कर दिया एवं झूंठे शपथ पत्र पेश कर दावा चालाकी से डिकी करवा लिया। जबकि अपीलार्थीगण के पिता हजारी कभी भी न्यायालय में पेश नहीं हुये, उनके फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करवा कर मामला एकतरफा डिकी करवा लिया। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवंत थ्यों के विपरित होने के कारण खारिज होने योग्य है।अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि तथाकथित फर्जी वसीयत में खं0नं0 52 रकबा 3.19 है0. अंकित है एवं दावा उसी वसीयत के आधार पर खं0नं0 212 रकबा 1.32 है0 ग्राम शेखपुर के लिए पेश किया गया था अदालत मातहत द्वारा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया गया होता तो आपत्ति के साथ आलोच्य नामान्तकरण खारिज होने योग्य है, साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 632 दिनांक 29.05.2017 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तकरण न्यायालय उप जिला कलेक्अर गंगापुर सिटी के आदेश के कम में तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तथा हजारी द्वारा भी वसीयत रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पक्ष में किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा पृथक–पृथक न्यायालय में वाद का कारण पृथक–पृथक अंकित किया हुआ है, साथ ही विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 632 दिनांक 29.05.2017 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. पत्रावली पर वादकरण (**Cause of Action**) के संबंध में निम्नानुसार उल्लेख दर्शित होता है।

न्यायालय का नाम	मु0नं0		निर्णय दिनांक	वाद का कारण
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	25/20	हजारी बनाम राधेश्याम	14.10.2025	एक पक्षीय डिकी की जानकारी प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 23.12.2019 को हुई
सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी	23/19	राधेश्याम बनाम मगन वगै0		अपीलार्थी मगन व धनश्याम जरिये अधिवक्ता दिनांक 04.10.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुए थे।
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (न्यायालय हाजा)	09/21	सीताराम बनाम लैण्ड होल्डर		प्रत्यर्थी सं0 2 राधेश्याम ने दिनांक 07.07.2021 को गांव शेखपुर में ऐलानिया कहां कि भूमि खं0नं0 212 रकबा 1.32 है0 में 1/2 हिस्सा उसके नाम नामान्तकरण खुल चुका है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट				
पुलिस थाना वजीरपुर	एफआईआर नं0 0137	दिनांक 02.08.2021		हस्तगीस (अपीलार्थी सं0 4) मगनलाल ने उक्त घटना रिपोर्ट दिनांक 09.07.2021 को पुलिस थाना वजीरपुर में पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 09/21 उनवान सीताराम व अन्य वगै0 लैण्ड होल्डर व अन्य

न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं0 2 ने दिनांक 07.07.2021 को गांव शेखपुर में ऐलानिया कहां कि भूमि खं0नं0 212 रकबा 1.32 है0 में 1/2 उसके नाम नामान्तकरण खुल चुका है तथा पटवारी हल्का से नामान्तकरण की नकल दिनांक 09.07.2021 को लेने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी होना अंकित किया है।

2. रामनारायण पुत्र बदरी का वसीयतनामा जों सबरजिस्ट्रार गंगापुर सिटी द्वारा पंजीकृत है। उक्त वसीयतनामा का अवलोकन किया गया। उक्त वसीयत में अंकित है कि " उक्त भूमि खं0नं0 52 रकबा 3.19 है0 के हिस्से 1/2 वाके ग्राम शेखपुर के मालिक काबिज, स्वामी पुश्तैनी रहोगें, जब तक में जीवित हूं, उक्त सम्पत्ति का मैं मालिक काबिज स्वामी रहूँगा, मेरी मृत्यु के पश्चात् आप राधेश्याम मेंरी समस्त चल व अचल सम्पति के मालिक काबिज स्वामी रहोगे।"

3. रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा अपनी बहस में अंकित किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा पृथक–पृथक न्यायालय/थाना में वाद का कारण पृथक–पृथक अंकित किया है।

4- **Order 7, Rule 11 of the Code of Civil Procedure (CPC) allows a court to reject a plaint (the initial document in a lawsuit) if it's found to be legally flawed from the outset. This rule provides specific grounds for early dismissal, such as the plaint not disclosing a cause of action, the suit being barred by law, or the relief being undervalued, without needing to proceed with a full trial. The court only looks at the averments made in the plaint itself to decide on the rejection.**

Grounds for rejection under Order 7, Rule 11

(1) No cause of action:
The plaint does not state facts that establish a cause for the lawsuit.

(2) Undervaluation:
The value of the relief claimed is improperly low, and the plaintiff fails to correct the valuation when asked by the court.

(3) Insufficient stamping:
The relief is properly valued, but the plaint is written on insufficiently stamped paper, and the plaintiff fails to provide the correct stamps when requested.

(4) Suit barred by law:
The statement in the plaint shows the suit is barred by any existing law. This can only be applied if the bar is clear from the face of the plaint without a dispute.

(5) Failure to file in duplicate:
The plaint is not filed in duplicate as required by law.

Failure to comply with Rule 9: The plaintiff fails to comply with the requirements of Rule 9, which outlines procedures after a plaint is admitted.

बिन्दु सं0 1 में उल्लेखित दिनांक में वाद हेतुक/वादकरण **Cause of Action** उत्पन्न नहीं होता है। उक्त कम में रेस्पोडेन्ट पक्ष सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अर्न्तगत स्वतंत्र थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh
Date: 2026.01.13 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

लेकिन रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अर्न्तगत न्यायालय हाजा में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

5. अपीलार्थी पक्ष द्वारा वसीयत में खं0नं0 का पृथक अंकन होना अंकित किया है। यदि अपीलार्थी पक्ष को रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुतोष चाहिए तो अपीलार्थी पक्ष उक्त रजिस्टर्ड वसीयत में उल्लेखित किसी संपत्ति विवरण अथवा वैधता के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने/चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

6. अतः परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 632 दिनांक 29.05.2017 यथावत रखा जाता है तथा उभय पक्ष रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में अनुतोष हेतु सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested